# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 60 / 2019 एल.आर.एक्ट**
**GCMS No. 2019 / 00145**

1. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति बागड़ी निवासी बागड़ी भवन के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-- अपीलान्ट

**बनाम**

1. रामगोपाल पुत्र देवकिसन जाति चाण्डक निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा।

-- रेस्पोन्डेंट्स

**उपस्थितः** श्री विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय भादाणी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

## निर्णय

दिनांक 27.11.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 30.09.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– ग्राम बीकासर के खसरा नंबर 507 तादादी 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 506 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 511 तादादी 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 512 तादादी 0.05 हैक्टेयर कुल 0.21 हैक्टेयर भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार नोखा के समक्ष निर्धारित प्रारुप में सीमांकन हेतु आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 24.05.2019 को हलका पटवारी बीकासर को सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश दे दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 24.05.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 पारित करते हुए निरस्त कर दिया। अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त बीकानेर

न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष एक दावा किया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 05.09.2014 को खारिज कर दिया गया तथा जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में जैरकार हैं। आराजी जैर अपील के संबंध में एक अन्य दावा नैना देवी बनाम स्टेट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा में जैरकार था, जिसकी अभी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें जैरकार रहते हुए पैमाईश करने का आदेश प्रदान करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को न होकर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने एक दावा नैना देवी के नाम से ओर पेश कर दिया, जो आज भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा में लंबित है। पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने आपत्ति पेश की, जिस पर रिपोर्ट मंगवाई किन्तु तहसीलदार ने इससे पूर्व ही पैमाईश कर दी। उक्त आदेश की अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करते हुए कथन किया कि पैमाईश करने के उक्त आदेश का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में आर.आर.डी. 1980 पेज संख्या 80 व आर.आर.डी. 1980 पेज संख्या 554 का उल्लेख किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जरिये मु.आम दोबारा पैमाईश कराये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील हर दो अदालत दिनांक 30.09.2019 अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर व आदेश दिनांक 24.05.2019 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज हैं और उक्त वादगत भूमि की ही पैमाईश करवाई गई है। इस न्यायालय में अपील पेश करने से पूर्व ही तहसीलदार नोखा द्वारा पारित आदेश की पालना में सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट Infructuos हो जाने के कारण निरस्ती योग्य होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के संबंध में आर.आर.डी. 2004 पेज सं. 297 का हवाला दिया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि रकबा 0.21 हैक्टेयर का तहसीलदार नोखा से सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिनांक 24.05.2019 पारित करवा लिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा खारिज कर दिया। तहसीलदार नोखा ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खातेदारी भूमि के संबंध में सीमाज्ञान के आदेश दिये है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि वादगत भूमि अपीलांट की भूमि से सटी हुई भूमि है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 व तहसीलदार नोखा का आदेश दिनांक 24.05.2019 यथावत रखा जाता है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर